न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 :433 सन 2018

अनवान :–

1. सुरेश 2. ज्ञानसिह 3 कश्मीर पुत्रगण अमीलाल जाति धानक निवासी 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र चेतराम जाति धानक निवासी 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर
2. राममूर्ति 3 कृष्णा देवी 4 शारदा 5 कृष्णा पुत्रीयाान अमीलाल जाति धानक निवासी चक 16 जेएसएन गुडिया तहसील नोहर ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 128/123 के प0न0 237/401(25) के किला न0 23 ता 25/0.7340हैक , प0न0 338/401(28) के किला न0 14 ता 19 , 21 ता 25/2.7070हैक , प0न0 339/401(27) के किला न0 11 ता 14 ,17 ता 24 व प0न0 339/402(30) किला न0 1 ता 4 ,7 ता 10 ,11 ता 13 ,19 ता 22 व प0न0 337/402(32) के किला न0 3 ता 8 ,14 ता 17 , 24 ,25 व प0न0 0 मु0न0 88 के किला न0 24/1 ,26 ,29/1 ,30/1 व 33 की कुल 15.9100 भूमि स्थित है जिसमें से सयुक्त तोर 1/3 हिस्स के अमीलाल पुत्र चेतराम खातेदार काश्तकार है जो पूर्व में उनके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक समपति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज के नाम से दर्ज जिनके देहानत होने के बाद उनके नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है। जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है तथा वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 65 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादीगण काबिल डिक्री है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 128/133 की कुल 15.9100हैव मे सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/— पांच हजार रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)